रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

031R
3-1-11

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2010/पौष 2, 1932
No. 695] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2010/PAUSHA 2, 1932

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1006(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप को, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

आक्षेपों या सुझावों पर, यदि कोई हों, तो महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग विमानपत्तन के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकेंगे ।

ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.................संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3 में, खंड (48) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

"(48क) "सुरक्षा" से ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्तियों को हानि या संपत्ति को नुकसान होने के जोखिम को, जोखिम पहचान और जोखिम प्रबंधन की निरंतर प्रक्रिया द्वारा सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर से कम करना तथा बनाए रखना या नीचे रखना अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए , "सुरक्षा का स्वीकार्य स्तर" सुरक्षा की ऐसी न्यूनतम डिग्री है जिसे प्रणाली द्वारा वास्तविक प्रयोग में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(48ख) "सुरक्षा निरीक्षण कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके माध्यम से अभिसमय, के अनुबद्धों में अंतर्विष्ट सुरक्षा संबंधी मानकों तथा सिफारिश की गई पद्धतियों तथा सहबद्ध प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया जाता है।"

3. उक्त नियमों के नियम 29ग को उसके उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित किए गए उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) महानिदेशक, राज्य सुरक्षा कार्यक्रम बनाएंगे और इसके कार्यान्वयन का निरीक्षण करेंगे।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "राज्य सुरक्षा कार्यक्रम" से सुरक्षा सुधारने के उद्देश्यार्थ अपेक्षाओं और क्रियाकलापों का समाकलित समूह अभिप्रेत है।"

4. उक्त नियमों के नियम 29ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**29घ. सुरक्षा प्रबंध प्रणालियां.** - (1) वायुयान और विमानक्षेत्रों के प्रचालन, हवाई यातायात सेवाओं के उपबंध, कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा वैमानिक उत्पादों के रख-रखाव, डिजाइन और निर्माण में संलग्न प्रत्येक संगठन,-

(क) सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा; तथा

(ख) महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों की निर्देशिका को तैयार करेगा और उसको महानिदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) महानिदेशक अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी युक्तियुक्त समय पर, सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों का निरीक्षण कर सकेगा और संबंधित संगठन, महानिदेशक अथवा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के साथ निरीक्षण करने में सहयोग प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) "सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों" से सुरक्षा प्रबंध के लिए व्यवस्थित पद्धति है जिसमें आवश्यक संगठनात्मक ढांचा, जवाबदेही, नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "सुरक्षा प्रबंध प्रणाली निर्देशिका" से ऐसा दस्तावेज़ अभिप्रेत है जिसमें सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों से संबंधित सूचना अन्तर्विष्ट है।"

[फा. सं. ए वी. 11012/08/2010-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. वी -26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र के भाग II, खंड (3), उपखंड (i), तारीख 17 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 766 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2010 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2010

G.S.R. 1006(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objection or suggestion, if any, may be sent to the Director General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (.................. Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after clause (48), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(48A) "Safety" means the state in which the risk of harm to persons or of property damage is reduced to and maintained at or below an acceptable level of safety through a continuing process of hazard identification and risk management.

Explanation. – For the purposes of this clause, "acceptable level of safety" is the minimum degree of safety that must be assured by a system in actual practice.

(48B) "Safety oversight function" means a function by means of which the safety–related standards and recommended practices and associated procedures contained in the Annexes to the Convention are implemented."

3. Rule 29C of the said rules shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(2) The Director-General shall formulate the State Safety Programme and oversee its implementation.

Explanation.– For the purposes of this sub-rule, "State Safety Programme" means an integrated set of requirements and activities aimed at improving safety."

4. After rule 29C of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: –

"**29D. Safety Management Systems**. – (1) Every organisation engaged in the operation of aircraft and aerodromes, provision of air traffic services, training of personnel, maintenance, design and manufacture of aeronautical products shall, –

(a) establish and maintain Safety Management Systems; and

(b) prepare a Safety Management Systems Manual in such form and manner as may be specified by the Director-General and submit the same to the Director-General for approval.

(2) The Director-General or any other officer authorised by him in this behalf by general or special order in writing, may, at any reasonable time, inspect the Safety Management Systems and the concerned organisation shall co-operate with the Director-General or the person so authorised to carry out the inspection.

Explanation.– For the purposes of this rule, –

(a) "Safety Management Systems" means a systematic approach to managing safety, including the necessary organisational structure, accountabilities, policies and procedures;

(b) "Safety Management Systems Manual" means a document containing the information relating to the Safety Management Systems."

[F. No. AV. 11012/08/2010-A]
PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide G.S.R. 766(E), dated the 17th September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), dated the 17th September, 2010.

4881 GI/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.